

फर्द अहकाम
 अज अदालत-न्यायालय जिला कलक्टर-मुकाम-भरतपुर
 मनीष कुमार शर्मा बनाम लो.सू.अधि. आयुक्त, नगर निगम भरतपुर
 किरम मुकदमा अपील RTI नम्बर 57 सन् 2024

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनियशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुये
9.12.2024	<p>प्रार्थी/अपीलान्त मनीष कुमार शर्मा पुत्र श्री देवी प्रसाद शर्मा निवासी ए-20, हाउसिंग बोर्ड के पीछे, कृष्णा नगर, भरतपुर की यह अपील आर टी आई के तहत आयुक्त, नगर निगम भरतपुर के खिलाफ प्राप्त हुई है। अपील दर्ज रजिस्टर हो।</p> <p>आर.टी.आई. एक्ट 2005 के तहत प्राप्त अपील का अवलोकन किया गया। अवलोकन से जाहिर आया कि लोक सूचना अधिकारी आयुक्त, नगर निगम भरतपुर के खिलाफ अपील सुनवाई का क्षेत्राधिकार जिला कलक्टर भरतपुर को नहीं है।</p> <p>अतः प्राप्त मूल अपील वापस लौटाई जाकर अपीलार्थी को लिखा जावे कि वह नियमानुसार सीधे ही सक्षम अधिकारी को अपील प्रस्तुत करें। पत्रावली फ़ैसल शुमार हो बाद कार्यवाही दाखिल दफतर हो।</p>	<p>33 10/01/25 जिला कलक्टर लो.सू.अधि. भरतपुर</p>